उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-15 / 2016 / वे0आ0-2-290 / दस-69(सामान्य) / 2010टी0सी0

लखनऊः दिनॉकः 04 मार्च, 2016

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि " वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ" में वरिष्ठ परामर्शदाता वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/- के पद पर सुश्री शाहीना परवीन को दिनांक 01 मार्च, 2016 अथवा उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से छः माह के लिये निम्नलिखित सेवा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

(1) कु0 शाहीना परवीन को पुनर्योजन की अवधि में अस्थायी सरकारी सेवक माना जायेगा।

(2) पुनर्नियुक्ति की अवधि में कु0 शाहीना परवीन को प्रतिमाह वही नियत वेतन अनुमन्य होगा जो इनके अंतिम आहरित मूल वेतन में से इनको देय शुद्ध पेंशन (राशिकरण से पूर्व) को घटाकर आंकलित की तथा कु0 शाहीना परवीन को देय मंहगाई भत्ता अंतिम आहरित मूल वेतन पर समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के समतुल्य होगा।

(3) कु0 शाहीना परवीन को पुनर्नियुक्ति की अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2-4 के सहायक नियम 19 (ए) तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थायी अधिकारियों की भॉति अवकाश देय होगा परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

(4) पुनर्नियुक्ति की अवधि की गणना पेंशन के लिये नहीं की जायेगी तथा पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(5) पुनर्नियुक्ति की अवधि में कु0 शाहीना परवीन को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता इनके अन्तिम आहरित वेतन के ग्रेड वेतन के अन्तर्गत अनुमन्य दरों पर देय होगा।

(6) पुनर्नियुक्ति की अवधि में कु0 शाहीना परवीन को पेंशन पर मंहगाई भत्ता राहत या अस्थायी वृद्धि (तदर्थ वृद्धि) यदि कोई देय हो, देय नहीं होगी।

(7) कु0 शाहीना परवीन, वरिष्ठ परामर्शदाता को वही सुविधाएं अनुमन्य होंगी जो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अनुमन्य थी।

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-15 / 2016 / वे0आ0-2-290(1) / दस-69(सामान्य) / 2010टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद/लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) सचिव, कार्मिक अनुभाग-1
(5) निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(6) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
(7) सम्बन्धित अधिकारी।
(8) विभागीय आदेश पुस्तिका।
(9) राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2

आज्ञा से,
मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।